न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 226 / 2024

प्रार्थी ::–

जसवन्तसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. शैतानसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगरोट तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री गणतपसिंह अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 1
2. श्री गजेसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3. विप्रार्थी संख्या 2 व 3 एकपक्षीय

आदेश

दिनांकः– 24.07.25

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 541 रकबा 3.2375 हैक्टेयर ग्राम गुंगरोट तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा पश्चिम सीमा से लगती विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 540 रकबा 5.7708 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, विप्रार्थी संख्या 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान [illegible] करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:36 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गजेसिंह उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते प्रदान करने हेतु बिना प्रतिफल लिये सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा गुंगरोट अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 541 रकबा 3.3275 (वर्तमान खसरा संख्या 557 रकबा 3.2370) हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख.सं. 540 (वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 4.8440) की बदिशा पश्चिम पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते हेतु प्रस्तावित लम्बाई 280 X 4= 1120 वर्गमीटर = 0.1120 हैक्टेयर अर्थात 140 गट्ठा लम्बाई तथा चौडाई 2 गट्ठा भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है। प्रार्थी वकील ने आगे बहस में कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने की सहमति जाहिर की है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित [illegible] का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिंवाना [illegible] रिपोर्ट में [illegible] के खसरा संख्या 541 रकबा 3.3275 (वर्तमान खसरा संख्या 557 रकबा 3.2[illegible]) हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख.सं. 540 (वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 4.8440) की मे से चाहा गया रास्ता रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:36 IST
Reason: SelfAttested

हरा रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। विप्रार्थी के प्रभावित खसरे की DLC दर 7,63,000/— प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 140 गट्टा व चौडाई 2 गटटा है। प्रभावित रकबे की डी. एल.सी की दुगनी राशि रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थी को दी जावे।

प्रार्थी वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थी को विप्रार्थी के खसरा संख्या 540 (वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 4.8440) को किस्म गै.मु. रास्ते को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करते हुए व खसरा संख्या 540 (वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 4.8440) हैक्टेयर भूमि मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विप्रार्थी संख्या 1 के सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम गूंगरोट तहसील सिवाना की ख.सं .541 रकबा 3.3275 (वर्तमान खसरा संख्या 557 रकबा 3.2370) हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खं.सं. I 540 (वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 4.8440) हैक्टेयर भूमि में से लम्बाई 140 गट्टा चौडाई 2 ग्टटा में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **विप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिफल देय नहीं होगा** तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2025/163 दिनांक 19.03.2025 को मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आंशिक भू-नक्शा फोटो कॉपी रि-सर्वे संवत २०८१
ग्राम - गूंगरोट
पटवार मण्डल - गोलिया
तहसील - सिवाना
बिना-पैमाना

संकेत
- प्रस्तावित रास्ता

पुराना खसरा संख्या	नवीन खसरा संख्या
541	557
540	555
540	558

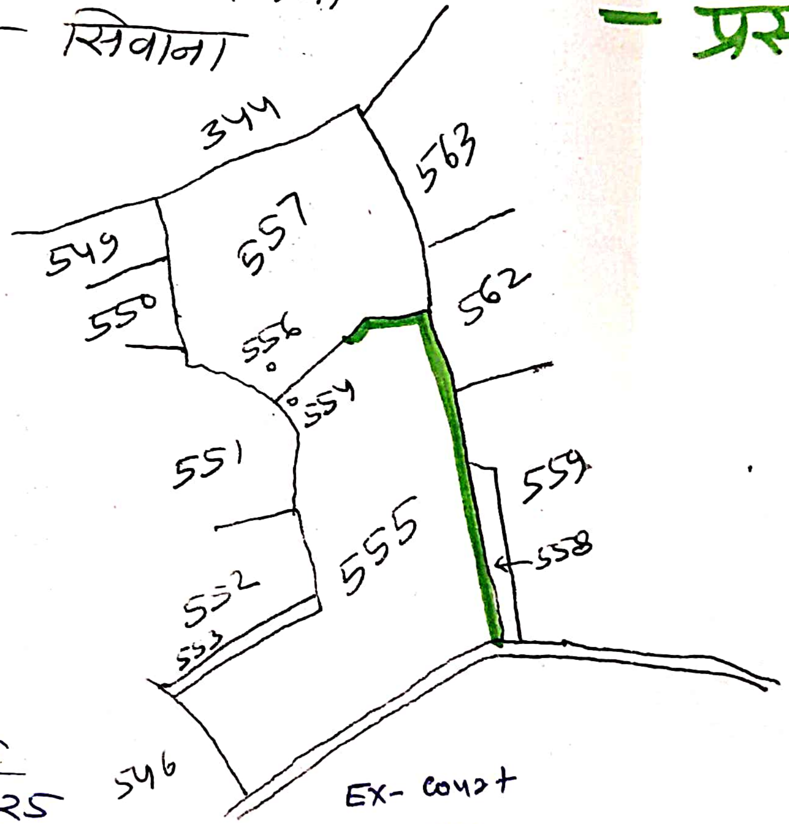

सॉवू राम
19.02.25
ILR सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

पटवारी गोलिया
19/02/25

P-35

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:36 IST
Reason: SelfAttested